

नियम-34 के तहत प्ररूप "17"

गोहत्या/गोमांस की आशंका के क्रम में विषय विशेषज्ञ आख्या/विधि विज्ञान परीक्षण हेतु
गो उत्तक नमूना संकलन के क्रम में प्रारूप-पत्र

सेवा में,

पशुचिकित्सा अधिकारी,

राजकीय पशु चिकित्सालय

जनपद -

महोदय,

सूचित किया जाना है कि दिनांक को पुलिस थाना/चौकी

अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या (अथवा संलग्न तहरीर/अथवा स्वतः संज्ञान) द्वारा
गोहत्या/गोमांस की आशंका के क्रम में अपराध संज्ञान में आया है। इस प्रकरण में आपके स्तर से विषय विशेषज्ञ आख्या
से अवगत कराने का कष्ट करेंगे तथा आवश्यकता के अनुरूप विधि विज्ञान परीक्षण हेतु गो उत्तक नमूना संकलित कर
उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

हस्ताक्षर, थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी :

नाम, थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी :

कार्यालय मुहर :